



टांडा स्वराज्य : बुनियादी सिद्धांत और दूरदर्शी नीतिया

एकनाथ पवार (नायक)

नागपूर

nayakeknath25@gmail.com

सारांश

बंजारा टांडा सभ्यता, टांडा लोकजीवन, परामर्श और भविष्यकालीन जरूरते के विभिन्न पहलुओ पर प्रस्तुत शोधकर्ता की सोच और संकल्पना का समावेश इस शोध लेख में किया गया है। टांडा बरकरार है, तो बंजारा समाज की संस्कृति, भाषा, विरासत बरकरार है। अगर टांडा की सभ्यता ही खत्म हो जाए, तो समाज की गरिमा, अस्मिता और अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कोई किसीपर निर्भर न होते हुए स्वयं का विकास स्वयं करे। आधुनिक तकनीकी, प्रोद्योगिकि शिक्षा के साथ मानविय मूल्यों और संवैधानिक मूल्योंका भी जिक्र टांडा स्वराज्य में है। गांव के साथ ही बंजारा समाज का भी स्वतंत्र टांडा जीवन रहा है। इसलिए ग्राम स्वराज्य के साथ स्वतंत्र रूपसे टांडा स्वराज्य की संकल्पना और बुनियादी सिद्धांत भी स्वतंत्र एवं भिन्न है। टांडा स्वराज्य की मजबूती से बंजारा सशक्तिकरण संभव होगा।

प्रस्तावना :

टांडा यह बंजारा समाज और संस्कृति का दर्पण माना जाता है। बंजारो के वस्तीस्थान को ही टांडा कहा जाता है। जहाँ बंजारा भाषाई पाये जाते है। टांडा मे प्रमुख रूपसे बंजारा मायड भाषा बोली जाती है, जिसे बंजारा, गौरमाटी भाषा कहा जाता है। एक स्वतंत्र सभ्यता का यह समाज और उनकी स्वतंत्र 'टांडा व्यवस्था' आज भी पायी जाती है। एक खासियत ये है की, 'बंजारा' एक ही नाम से जाना जाते है। जैसे की बंजारा टांडा, बंजारा भाषा, बंजारा बोलि, बंजारा संस्कृति, बंजारा समाज, बंजारा इतिहास, बंजारा जनजाति। यही टांडा स्वराज्य का स्वतंत्रता का एक परिचय है। टांडा को बंजारो का एक रूप से आप एक स्वतंत्र राज्य या गढ भी कह सकते है। जो सदियों से चल आ रहा है। टांडा बंजारा समुदाय का एक उपनिवेश है, जो एक ऐतिहासिक और विशिष्ट संस्कृति की खेती करता है। टांडा पुर्व रूपसे प्रकृतिपुजक रहा है। स्वयं की अलग मान्यता एवं नीतियाँ रही है। जो पुरे विश्व के सभी प्राणीमात्राओ के कल्याण हेतु आराधना करनेवाली यह एक स्वतंत्र, प्राकृतिक एवं समाजवादी सभ्यता है। टांडा का प्रमुख 'नायक' (नाइक) होता है और उनके साथ कारभार सुनिश्चित रूपसे चलाने के लिए उनका स्वतंत्र प्रधानमंडल भी होता है। जो टांडा के गण से, प्रजा से जबाबदेही होता है। टांडा के हीत में, अपनी सभ्यता, संस्कृति की रक्षा हेतु जिम्मेदारी निभाते है। बंजारा में मुख्य रूपसे राठौड, पंवार,



चौहान और जाधव यह चार कुल गौत्र पाये जाते हैं। जो 'गौर' के नाम से जाने जाते हैं। किंतु टांडा में बंजारा के साथ कुछ अन्य उप समुदाय भी होते हैं, जो उनके टांडा व्यवस्था का एक हिस्सा भी होते हैं। इससे यह साबित होता है की, बंजारो की एक स्वतंत्र व्यवस्था यह पुरातन कालसे चली आ रही है। जो व्यापक, रचनात्मक और समताधिष्ठित भी है।

अनुसंधान के तरिके/तकनिक :

प्रस्तुत शोध प्रबंध के लिए विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और तुलनात्मक विधियों को अपनाया गया है। तकनीक संकलन के लिए प्राथमिक और माध्यमिक उपकरणों पर आधारित है। बंजारा टांडा जीवन और सभ्यता के बारे में कुछ जानकार लोगों से जानकारी इकट्ठा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के ग्राम स्वराज्य कि संकल्पना की जानकारी भी हासिल की। और प्रस्तुत शोधकर्ता ने स्वतंत्र टांडा स्वराज्य संकल्पना के शोधकार्यों का निरीक्षण करने के लिए इस शोध पद्धति का उपयोग किया गया है। साथ ही टांडा स्वराज्य पर शोध लेख लिखते समय तथ्यों का संकलन किया भी गया है।

बंजारा टांडा स्वराज्य की परिभाषा और उपयोगिता :

बंजारा सभ्यता, बंजारा भाषाई और बंजारा वसाहत को टांडा कहा जाता है। टांडा बंजारा समुदाय का एक उपनिवेश है, जो एक ऐतिहासिक और विशिष्ट संस्कृति की खेती करता है। स्वराज्य यह एक वैदिक शब्द है। जिसका अर्थ आत्म शासन और आत्म संयम है। लोक सम्मति के अनुसार होने वाला शासन। 'टांडा स्वराज्य' याने टांडा सभ्यता की गरिमा को अक्षुण्ण रखना। टांडा को आत्मनिर्भर और सभी उपवर्ग को समान अधिकार एवं सम्मान हो। टांडा सशक्तिकरण में स्वयं का योगदान हो। वैश्विकता में अपनी सभ्यता का स्वतंत्र परिचय हो।' ग्रीस के प्राचीन नगर राज्य तथा भारत के ग्राम प्रजातंत्र समृद्ध और शक्तीशाली जीवन के सर्वांगीण विकास के सुंदर उदाहरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है - "ग्राम स्वराज्य की यह पद्धति आर्यों की शासन व्यवस्था की बुनियाद थी। सन 1830 में भारत के भूतपूर्व ब्रिटिश गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाँफ ने ग्राम समाज का निम्न लिखित के शब्दों में वर्णन किया था -

"ये ग्राम समाज छोटे-छोटे प्रजातंत्र हैं, जिन्हे अपनी आवश्यकता की लगभग हर वस्तु अपने भीतर ही मिल जाती है और जो विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र होते हैं। ग्राम समाजों का संघ, जिनमें से प्रत्येक समाज अपने आप में एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य होता है।"

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने जिस ग्राम स्वराज्य की कल्पना की है, उसमें पुरानी ग्राम - पंचायतों को पुनर्जीवन देने की बात नहीं है; उसमें आधुनिक जगत् को ध्यान में रखते हुए स्वराज्य के स्वतंत्र ग्राम-घटकों की नई रचना करने की बात है। गांधीजी के दृष्टि में - "स्वराज्य का अर्थ है सरकार



के नियंत्रण से स्वतंत्र रहने का निरंतर प्रयास है।" टांडा स्वराज्य की कल्पना टांडा को विकास, स्वाभिमान और सम्मान के पथपर प्रेरित करेगी ऐसा विश्वास है। इस कल्पना का केंद्र ही न्याय, स्वातंत्र्य समता और बंधुता जैसे संवैधानिक मूल्य हैं। ऐसे समाज रचना में कोई उचा-निचा न रहेगा। कोई भूखा-प्यासा न रहेगा। अपने मानवीय अधिकारों से वंचित न होगा। भौतिक समृद्धि के साथ आत्मिय समृद्धि की अपेक्षाएं हैं।

टांडा स्वराज्य के बुनियादी सिद्धांत :

1. विकेंद्रीकरण : टांडा स्वराज्य में शिक्षा, संपत्ति, सत्ता और अवसर का विकेंद्रीकरण की मनशा है। जब तक टांडा में समानता और अवसर का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तब तक टांडा का विकास स्थायीरूपसे नहीं होगा। टांडा सभ्यता की गरिमा वैश्विक करने हेतु विकेंद्रीकरण अहम हैं।
2. आत्मनिर्भरता : टांडा सामान्य रूपसे प्रकृति के सान्निध्य में होता है किंतु टांडा को प्रकृति, इश्वर पर या लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर पुरे रूपसे निर्भर होना अपेक्षित नहीं है। आत्मनिर्भर हो, स्वयं का विकास स्वयं करे। यही उम्मीद टांडा स्वराज्य की है।
3. बंजारन सशक्तीकरण : किसी समाज, समुदाय या राष्ट्र की प्रगति महिलाओं की प्रगतिपर अधिक रूपसे निर्भर होती है। महिलाएँ जितनी प्रतिशत शिक्षित, सक्षम हो, उतनेही प्रतिशत उन समुदाय या राष्ट्र की प्रगति होती है। बंजारा साहित्य और संस्कृति को बरकरार करने में अहम योगदान बंजारन का रहा है। टांडा का निरंतर विकास और आज के प्रोद्योगिक, वैश्विक युग में बंजारन शिक्षित और सक्षम होना बेहद जरूरी है। तभी टांडा सक्षम बन पायेगा। बंजारन को समान अधिकार एवं सम्मान हो। टांडा पंचायत के 'नायक' के समान 'नायकंठ' (बंजारन की प्रातिनिधीक प्रमुख, नायक की अर्धांगिनी) को सम्मान हो। शिक्षा, अर्थ, राजनितिक, औद्योगिक, अनुसंधान ऐसे सभी क्षेत्र में बंजारन को अवसर प्रदान करे। बंजारन सशक्तीकरण से टांडा स्वराज्य में नयी चेतना आ सकती है।
4. कौशल्य विकास : बंजारों में कौशल्य की विरासत यही उनकी खासियत है। किंतु समय के अनुसार और भविष्य को देखते हुए दूरदर्शी कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है। टांडा को प्राथमिकता से 'सक्षम टांडा' के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए टांडा में कौशल विकासपर जोर देना होगा। पुरखोंसे मिला कौशल, आधुनिक शिक्षा से मिला हुआ कौशल और स्वयं की सर्जनशीलता से प्राप्त हुआ कौशल, इन सभी कौशल को सही दिशा में अपनाकर टांडा को नगर जैसा विकसित करने का योगदान देना होगा।
5. समाज और राष्ट्रहित : बंजारा टांडा ने हमेशा राष्ट्र हित हेतु अपना जीवन न्योछावर किया है। परकिय विदेशी आक्रमणकारी के टांडाओं ने जंग भी छेड़ी थी। टांडा का समाज और राष्ट्र के प्रति एक अनोखा रिश्ता रहा है। 'टांडा स्वराज्य' की संकल्पना ही समाज और राष्ट्रहित का संदेश देता है। आत्मिय समृद्धि का को बढावा देता है।



6. समर्पण और सहयोग : मानवी कल्याण हेतु एक दुसरो को सहयोग करना जरूरी है। किसी समस्या का समाधान सहयोग से मिल सकता है। बंजारा टांडा ज्यादातर पहाड़ी, घने जंगलो में, नदी किनारे, गांव से दूर हुआ करते है। जहाँ भौतिक सुविधा की बेहद कमियाँ होती है। एक दुसरो को सहयोग करने की भूमिका निभाकर टांडा में बदलाव की संभावना नजर आयेगी। बंजारा समाज की प्राचीन संस्कृति वैभवशाली होते हुए भी आज की स्थिति में पिछडा समाज के रूप में नजर आता है। समाज की समृद्धि, संस्कृति की गरिमा को बढ़ावा देने हेतु समाज में समर्पण और सहयोग मूल्य को विकसित करने की जरूरत है। भागिदारी बढ़ानी होगी। टांडा स्वराज्य में समाज कल्याण निहीत है, समर्पण और सहयोग के बिना स्वराज्य की निंव मजबूत नहीं हो पायेगी। टांडा के हर निवासी समर्पण और सहयोग की भूमिका से प्रेरित हो, क्योंकि टांडा स्वराज्य की निंव की मजबूती समर्पण और सहयोग पर निर्भर करती हैं।

7. टांडा पंचायत: भारतिय विविधता में टांडा पंचायत का एक अलग स्थान नजर आता है। यह टांडा पंचायत सामाजिक न्याय, संस्कृति, स्वाभिमान, अस्मिता, राष्ट्रभक्ती, इतिहास, प्रजाहित, बंजारा भाषा- लोकसाहित्य और सभ्यता की विरासत इन सभी पहलुओ पर भूमिका निभाती है। अर्थात यही भूमिका टांडा स्वराज्य के पक्ष में आती है। समय के अनुसार टांडा पंचायत को आज संवैधानिक मूल्यो से अवगत होना भी जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में संवैधानिक धारासे शिक्षित होने की आवश्यकता है। 'टांडा स्वराज्य' अधिक सशक्त होने में टांडा पंचायत को अहम योगदान देना होगा।

टांडा स्वराज्य की बुनियादी नितियाँ :

'टांडा की ओर चलो' (तांडेसामू चालो) इस टांडावादी सोच के मंचपर से प्रस्तुत शोधकर्ता ने 'स्मार्ट टांडा -ग्लोबल टांडा', संविधान साक्षर टांडा, आत्मनिर्भर, उद्यमशील टांडा' ऐसे नयी संकल्पना, नितिया का आविष्कार किया। जो टांडा स्वराज्य के लिये अहम है।

1. स्मार्ट टांडा- ग्लोबल टांडा :

इस संकल्पना में टांडा की स्थिति और गरिमा पर जोर दिया गया है। टांडा की पूर्व प्राचीन काल से एक वैभवशाली परंपरा रही है। टांडा पहिले लाखो बैल, घोडा, अनाज से भरा होता था। बंजारनो के शरिर पर एक-एक किलो वजन के आभूषण, हस्तिदंत परिधान हुआ करते थे। किंतु आज टांडा की बेहद चिंताजनक स्थिति है। टांडा में पुर्ण रूपसे शिक्षा, पाणी, सेहत, बिजली, पक्के मकान, बालिका शिक्षा, दूर संचार, कौशल विकास केंद्र, लायब्ररी, संगणक प्रशिक्षण, शौचालये, सिवरेज सिस्टीम, सिंचाई खेति हो। टांडा की मकानो की स्कुलो की आधुनिक रचना हो। स्मार्ट टांडा में सिर्फ भौतिक सुविधाए अपेक्षित नहीं है। भौतिक सुविधा के साथ टांडा मेधावी बने। जहाँ पठन और अनुसंधान का परिचय हो। टांडा एक अर्बन नगर, स्मार्ट सिटी की तरहा बने। टांडा के सौंदर्य में चार चांद लगे। टांडा

में कोई दुबला कुचला, पिडित ना बने। सभी अपने न्याय, सम्मान, अधिकार के लिये जागृत बने। स्मार्ट रूप से टांडा की रचना हो। इसके साथ टांडा वैश्विक बने, क्योंकि टांडा व्यवस्था यह संपुर्ण मानवजाति के लिये एक मिसाल के तौरपर है। उनकी स्वतंत्र सभ्यता, नितियाँ, साहित्य सौंदर्य और गरिमा वैश्विक स्तरपर पहुँचे। ताकि 'टांडा स्वराज्य' का परचम (Human First's) परचम लहरेगा। 'स्मार्ट टांडा-ग्लोबल टांडा' यही टांडा स्वराज्य की नीति है।

2. संविधान साक्षर टांडा :

भारत राष्ट्र में लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सर्वोच्च भारतीय संविधान है। जिसके आधारपर राष्ट्र का कारोबार चलता है। संविधान के तहत सबको न्याय, अधिकार, सम्मान का जिक्र किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण संविधान की जानकारी, कानूनी धारा की जानकारी टांडा के हर निवासी को अवगत करानी होगी। बंजारा टांडा, भाषा, साहित्य और संस्कृति इन सभी के विकास हेतु हर टांडार्थी को भारतीय संविधान का पठन करना चाहिए। अपने संवैधानिक हक, अधिकार के लिये टांडा को शालेय साक्षरता के साथ संविधान साक्षर होने की अहम जरूरत है। टांडा संविधान साक्षर बने। किसी दबे कुचले परिजनो पर अन्याय ना हो सके। अपने पर हुए अन्याय के खिलाफ सक्त आवाज उठाने का आत्मविश्वास सभी में लाना होगा। कानून के आगे सब समान है। 'एक व्होट- एक आदमी' यही समानता का अधिकार दर्शाता है। संवैधानिक अधिकार के जागृति से ही टांडा की राजनैतिक भागेदारी बढेगी। टांडा को संवैधानिक अधिकार, मूल्यों से शिक्षित होकर एक 'संविधान साक्षर टांडा' बने, यही समय की पुकार है।

3. आत्मनिर्भर, उद्यमशील और संस्कृति रक्षक टांडा :

बंजारो को वाणिज्य, बनजकारी के साथ क्षत्रिय जनजाति के रूप में भी देखा जाता है। बंजारा ने समय समय में काल के भांति वाणिज्य, कृषि और राजनीति के रूप में भी भूमिका निभायी। किंतु आज का टांडा किसीपर निर्भर रहे। सरकार से अपिल करने में सारी उम्र बिताना, या किसी के उम्मिदोपर उम्र व्यतित करना। यह बात टांडा स्वराज्य में वर्ज्य हो। टांडा की एक स्वतंत्र और गरिमा पुर्ण जैसी सभ्यता है, उसे बरकरार करने के लिये टांडा को स्वयं आत्मनिर्भर होना होगा। एक उद्यमशील टांडा करके आगे आना होगा। सिर्फ खेति, पशुपालन से टांडा स्वराज्य मजबुति से खडा नहीं हो पायेगा। टांडा को उद्योग जगत में भी अपनी भागिदारी अपनानी होगी। लघु, मध्यम व्यापार से शुरुवात करके टांडा को एक 'उद्यमशील टांडा' के नाम से परिचय दिलाना होगा। बंजारो का राजा लख्खीशाह बंजारा (1580 -1680) के काल में बंजारा पुरे आशियाई देश तक व्यापार करता था। लेकिन आज बंजारा वाणिज्य क्षेत्र में दूरदूर तक दिखाई नहीं देता। अपनी बुनियादी अस्मिता को रखकर समय के साथ आगे बढने का संकल्प पथ बनावाना होगा। आज के जागतिकीकरण एवं निजीवाद से, या आधुनिक बदलाव से टांडा में बदलाव आकर, आगे जाकर स्वयं टांडा में अपनी मायड बंजारा भाषा, लोकसाहित्य, भाईचारा, पेहराव को बुरे दिन नहीं आने चाहिए। इसकी भी खबरदारी टांडा को लेना होगा। विश्वास है की, टांडा अपनी सभ्यता



और मायड बंजारा भाषा को नहीं भूल पायेगा। सभ्यता और भाषा ही बंजारा समाज की गरिमा है। एक स्वतंत्र पहचान है। इसलिए सभ्यता, भाषा, लोकसंस्कृति का रक्षक, प्रचारक भी टांडा को बनना होगा।

4. टांडावादी सोच 'टांडा की ओर चलो' :

अपने पुरुषों से बंजारो को एक गरिमापूर्ण सभ्यता की विरासत मिली है। उसे संजोगकर रखना यही प्राथमिकता है। बंजारा का जनम, विकास और मृत्यु यह तिन्हों ही प्रक्रिया, संस्कार टांडा में ही होता है। इसलिए टांडा के बिना बंजारा जीवन अधुरा होता है। टांडा हर बंजारा की जन्मभूमि, संस्कारभूमि होती है। एक अतुट रिश्ता हर बंजारा और टांडा में होता है। टांडा ही अपनी गौरवशाली सभ्यता प्रदान करता है। जिस मिट्टी में जन्म लिया, उस मिट्टी को भूलना यह पवित्रता नहीं होती है। भले ही हम आगे जाकर शिक्षा, रोजगार या अन्य किसी अवसर के माध्यम से टांडा से दूर होकर महानगरो में बस जाते हैं। लेकिन जीस टांडा ने हमें भाषा, संस्कृति दी। अपनापन दिया। उस टांडा का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उस टांडा के विकास हेतु अपना योगदान देना चाहिए। महानगरो के, गांवो की तुलना में टांडा बहोत पिछडा है। टांडा स्वाभिमानी है, लेकीन वह सक्षम नहीं बना है। मुख्य धारा से टांडा आजभी वंचित है। अपने संवैधानिक न्याय अधिकार से टांडा आजभी झुज रहा है। ऐसी स्थिती में टांडा सशक्तीकरण के लिये 'टांडा की ओर चलो' यही टांडा स्वराज्य की निती अपनानी होगी। जब तक टांडा में जाकर टांडा का दुःख दर्द, वेदनाएं, आवश्यकताएं करिबी से नहीं जानेंगे। तब तक टांडा मुख्य धारा से वंचित रहेगा। टांडा में जाकर टांडा के समस्या पर अनुसंधान करके सशक्तीकरण करने के लिये योजनाएं बनानी होगी। टांडा में शिक्षा, संवैधानिक अधिकार के प्रति जागृति लानी होगी। टांडा का सशक्तीकरण कराना यह उत्तरदायित्व समझना होगा। 'पे बँक टू सोसायटी' इस धारणा से हर टांडाजनो को अपना योगदान देने से टांडा में बदलाव आने में ज्यादा समय नहीं लग सकता। 'टांडा की ओर चलो' यह निती से टांडा का विकास संभव है। टांडा स्वराज्य को मजबूत करने के लिये 'टांडा की ओर चलो' यह निती अपनाना जरूरी है।

5. गणतंत्र राष्ट्रभक्ती का टांडा :

मध्ययुगीन काल में राजपुताना के राज्यविलय, सम्राट पृथ्वीराज चव्हाण के बाद उत्पन्न हुई आपदायें इन कारणों से और ब्रिटीश साम्राज्य में बगावत के कारण बंजारा समाज को जंगल, पहाडीयों का आश्रय लेना पडा। लेकीन बंजारा टांडा किसी काल में, या शासन में वह कभी गुलाम नहीं बना। या उन्होंने कभी हार मानकर गुलामी स्विकार नहीं की। यही बंजारा का इतिहास उनके गणतंत्र और राष्ट्रभक्ति का परिचय देता है। बंजारा सम्राट लाखा बंजारा, शहिद ए आझम बल्लुराय बंजारा, राणा मानसिंह पंवार जैसे शुरवीरोने मातृभूमि के लिये अपने परिवार का भी बलिदान दिया। भारत के स्वतंत्रता पुर्व काल से ही टांडा में गणतंत्र व्यवस्था रही है। जिसमे हर गणों का, हर व्यक्ति या प्रजा को अहम स्थान रहा। न्याय और सम्मान का जिक्र था। सामाजिक न्याय की स्वतंत्र परिभाषा रही। अपनी



मातृभूमि के लिये सर्वस्व समर्पण करने की धारणा टांडा में पूर्व काल से आ रही है। टांडा ने हमेशा मनक्या, माटी (मानव) और मायडजमिं (मातृभूमि) को, राष्ट्र को प्राथमिकता दी। टांडा संघर्ष, त्याग और बलिदान का प्रतिक रहा है। भले ही क्यों ना आज इतिहास में टांडा सभ्यता, संस्कृति और उनके बलिदान का जिक्र नहीं किया गया हो। लेकिन टांडा स्वराज्य की दिवार मजबूती से उभरकर टांडा को गणतंत्र निती और राष्ट्रभक्ति का नया परिचय देना चाहिए। टांडा का इतिहास कोई लिखे, टांडा का कोई संज्ञान ले। ऐसी उम्मीदोंपर रहेना ये मुनासिफ नहीं होगा। किंतु टांडा को स्वयं स्वर्णिम इतिहास निर्माण करके, इतिहास भी स्वयं को लिखना होगा। तभी टांडा स्वराज्य की साधना पूर्ण रूप से सफल होगी।

भारत के स्वतंत्रता पूर्व काल में बंजारा टांडा :

बंजारा समाज का टांडा यह एक रूप से उनका राज्य या गढ माना जाता था। स्वयं की अलग मान्यता एवं नीतियाँ रही है। जो पुरे विश्व के सभी प्राणीमात्राओ के कल्याण हेतु आराधना करनेवाली यह एक स्वतंत्र संस्कृती है। एक प्राकृतिक एवं समाजवादी सभ्यता है। टांडा का प्रमुख 'नायक' (नाईक) होता है और उनके साथ कारभार सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए उनका स्वतंत्र प्रधानमंडल भी होता है। जो टांडा के गणों से, प्रजा से जबाबदेही होता है। टांडा के हीत में, अपनी सभ्यता, संस्कृति की रक्षा हेतु जिम्मेदारी निभाते है। बंजारा में मुख्य रूपसे राठौड, पंवार, चौहान और जाधव यह चार कुल गौत्र पाये जाते है। जो 'गौर' के नाम से जाने जाते है। किंतु टांडा में बंजारा के साथ कुछ अन्य उप समुदाय भी होते है, जो उनके टांडा व्यवस्था का एक हिस्सा भी होते है। टांडा ज्यादातर पूर्वी स्थायी रूपसे नहीं था। जंगल, पहाडी, घाटी, नदी झरनो के दरम्यान यह बसा हुआ करता था। जहाँ सुरज निकला, वहां से टांडा का काफिला आगे बढ़ता था, जहाँ सुरज डुबा वहां टांडा रुखता था। टांडा का इतिहास काफी रोचक और प्राचीन रहा है। इतिहास में राजा लाखा बंजारा और भगवानदास बढतिया, हेमू भूकीया इनका सबसे बडा टांडा हुआ करता था, ऐसा संदर्भ मिलता है। जिस टांडा में लाखो की तादाद, हजारो बैल, घोडे की सवारी रहती थी। अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान देने वाले शुरवीरो का यह टांडा हुआ करता था। लेकिन मुख्यधारा से वंचित होने के कारण अंधेरा, गरिबी, पिछडापण, शिक्षा का अभाव, अंधविश्वास ऐसे काफी समस्या के कारणों से वह मुख्यधारा से वंचित होता रहा।

टांडा की शिक्षा में कोई रुची न होने के कारण से। घुमंतू जीवन ही टांडा की पहचान बन गयी। टांडा यह प्राचीनकालीन एक स्वतंत्र सभ्यता है। टांडा को 'गढ' (फोर्ट) के नाम से जाना जाता है। जैसे की, पोहरागढ, गहुलीगढ, सेवागढ, लाखागढ, वसंतगढ, उमरुगढ, वरोलीगढ। या टांडा के नायक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे की, भीमा नायक टांडा, वसंतराव नायक टांडा, रामजी नायक टांडा। लाखा नायक टांडा। हालांकी यह बंजारा का आपमे आप एक राज्य जैसा ही होता है, जहाँ स्वतंत्र व्यवस्था पायी जाती है। स्वतंत्र पंचायत होती है। इतिहास में महायोद्धा, क्षत्रियकुलभूषण लाखा बंजारा का नाम



आता है। जिन्होंने टांडा कि गरिमा विश्व में प्रसार करने का सराहनीय योगदान रहा। बंजारा का राजा लख्खीशाह नायक (बंजारा), मख्खनसिंह बंजारा, शहिद-ए-आझम बल्लूराय पवार, शहिद ए आझम मानसिंह बंजारा, मसंद लोकालाल नायक, गोरा बादल, वीरांगना मलुकी बंजारन जैसे महान शुरवीरो की परंपरा का संदर्भ मिलता है। सतगुरु बाबा हाथिरामजी महाराज, संत सेवालाल महाराज, संत रूपसिंह महाराज, सामकी माता, संत ईश्वरसिंह महाराज, संत लक्ष्मण चैतन्य महाराज, संत रामराव महाराज जैसी संत परंपरा भी बंजारा समाज में है। आधुनिक काल में सामाजिक और राजनीति क्षेत्र में 'नायकी' का प्रभावी रूपसे परिचय देने का अहम भूमिका समाजसुधारक बळीराम पटेल (राठौड) और वसंतराव नायक ने निभायी। रणमैदान की विरभूमि के साथ अध्यात्म, सामाजिक और राजनीति क्षेत्र में बंजारा समाज ने अपना परचम लहराने का कार्य विभिन्न महापुरुष, समाजसुधारक, विचारक, साहित्यकार और संघटकओ द्वारा किया गया है।

सन 1960 पुर्व और वसंतराव नायक काल का टांडा :

प्रकृति की आराधना करनेवाली प्रकृति की बंजारा संस्कृति का प्रकृति से एक अटूट रिश्ता रहा है। 1960 के पुर्व टांडा पुर्ण रूप से जंगल, पहाडी, नदी किनारे जैसे भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ करता था। जहाँ कोई भौतिक सुविधा और शिक्षा का दूरदूर तक कोई आतापता नहीं होता था। अपनी उपजिविका और पशूपालन यही प्रमुखता से स्थिती रही। लेकिन प्रकृति के नियमो के अनुसार सन 1960 के बाद टांडाओ को स्थिरता देने का ऐतिहासिक कार्य करनेवाला 'नायक' वसंतराव नायक के रूप में टांडा को मिला। टांडा में प्रबोधन और जागृति के लिये वह प्रयास करते रहे। साथ में समाजसुधारणा के लिये बळीराम पाटील (मांडवी), सखाराम मुडे गुरुजी, जातरसिंह नायक (कर्नाटक), फुलसिंग चतुरसिंह नाईक (गहलीगड), रामसिंग भानावत (उमरीगड), बाबुसिंह नाईक (लोहगड), रामजी रामसिंग नाईक (वरोलीगड), रणजित नाइक, अमरसिंह पवार (पालाईगुडा) जैसे अनेक समाजसुधारको ने प्रयास किया। वसंतराव नायक ने टांडा को शिक्षा का राह बताया, जो टांडा विकास के लिये महत्वपूर्ण निर्णय था। "टांडा लिखेगा पढेगा तो सुधरेगा, समाज कि मुख्य धारा में आयेगा।" ऐसी उनकी सोच थी। उन्होंने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान में हजारों आश्रमस्कूल को स्थापित किया। मध्यप्रदेश प्रांत में जब मंत्री ते, तब उन्होंने समाज को स्थायिक करने हेतु लैंड रिफॉर्म और आगे भुदान मुहीम के तहत जमीन का आंठन भी करके हजारो एकड जमीन भूमीहीन को लाभ प्रदान कराने में अहम भूमिका निभायी। बंजारो ने ब्रिटीश साम्राज्य से बगावत करने के कारन से सन 1871 में उन्होंने बंजारो के साथ 192 जनजाति को क्रिमिनल ट्राईब्स अपराधिक कानून लगाकर मानवीय अधिकारोसे वंचित रखा था। यह अमानवीय कानून से मुक्ति दिलाने हेतु वसंतराव नायक ने प्रयास किया। इस प्रयास हेतु भूतपूर्व पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1871 का एक्ट सन 1952 में रद्द करके इन जनजाति को मुक्त



किया था। तभी से यह जनजाति विमुक्त जाती (डिनोटीफाईड ट्राईब्ज) नामसे जानी जाती है। वसंतराव नायक के बाद टांडा और समाज हितमें पुर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल जलसंधारण के जनक सुधाकरराव नायक का भी अहम योगदान रहा है।

टांडा की ओर चलो' टांडा सशक्तिकरण का मुलमंत्र :

टांडा मतलब बंजारा समाज का एक दर्पण माना जाता है। टांडा कि स्वतंत्र सभ्यता होती है, वैसेही उनकी समस्या भी गांव शहर से भिन्न है। 'टांडा की ओर चलो' यह एक स्वतंत्र टांडावादी सोच है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की 'गांव की ओर चलो' इस संकल्पना से अलग है। "टांडा की ओर चलो' यह एक लोकोत्तर संकल्पना है। जिस माध्यम से दबे कुचले वंचितों के जिवन में विकासधारा जुड़ने का प्रतित होता है।" ऐसी राय पोहरागढ में बंजारा धर्मगुरु डॉ. संत रामराव महाराज ने इस संकल्पना के बारे में रखी थी। यह संकल आज देश के स्वतंत्रता का अमृतमहोत्सवी वर्ष होने के उपरांत भी ऐसे कही सारे टांडे आज भी मुख्य धारा से वंचित है। विकास के लिये झुज रहे हैं, इसलिए टांडा कि व्यथाए सामने आकर उनके हितमें प्रयास हो। टांडा का शाश्वत सक्षमीकरण हो। संविधान कि कलम से टांडा शिक्षित हो और टांडा स्मार्ट एवं ग्लोबल हो। ऐसे व्हिजन रखकर "टांडा कि और चलो" (तांडेसामू चालो) यह टांडावादी विचारधारा कि प्रथम निंव प्रख्यात विचारक, साहित्यकार एकनाथ नायक ने रखी, यह स्वतंत्र एवं सृजनशील टांडावादी विचारधारा कि प्रेरणा उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महानायक वसंतराव नाइक से मिली। जिस टांडा मे हमने जन्म लिया, उस टांडा को कभी भुलांना नहीं चाहिए। बल्कि उन टांडा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। यही संदेश आज "तांडेसामू चालो" ('टांडा कि और चलो') इस संकल्पना की ओर से दिया जाता है। टांडा जीवन में संविधानिक साक्षरता लाने हेतु "हाम भारतेर लोग" ऐसी संविधान जागरण कि बंजारा भाषा में क्रांतिकारी मुहीम कि शुरुवात भी एकनाथजी नायक द्वारा हुई। टांडा को विकास और गरिमा का केंद्रबिंदू बनाने से ही बंजारा समाज दुनिया में प्रभावी रूपसे उभरकर आयेगा, इस टांडावादी सोच की व्यापकता और प्रेरणा नयी पिढी को एक गरिमापूर्ण उच्चाईपर लाती है। समाज के मेधावी और नेतागण को भी इस टांडावादी सोच पर गौर करना होगा। टांडा जीवन को आजके ग्लोबलायझेशन में भी अहम भूमिका निभानी पडेगी। ग्लोबलायझेशन से टांडा जीवन को वंचित रहना; या उसे वंचित रखना, यह टांडा के अस्तित्व और विकास के लिये मुनासिफ नहीं होगा।

स्वतंत्रता अमृतमहोत्सव वर्षगांठ और टांडा स्वराज्य :

महानायक वसंतराव नायक स्वयं कहते थे, "आपंळे समाजेनं मत भूलो, म्हारो समाज म्हणं याडी समान प्रिय छ" ("अपने समाज को मत भूलिए, मेरा समाज मुझे माँ के समान प्यारा है।")



महानायक की इस सोच का भी हमें गौर करना जरूरी है। टांडा जीवन में आधुनिक बदलाव आये, मुख्य धारा का हिस्सा बने यही भावना महानायक वसंतराव नाइक और आद्य बंजारा साहित्यकार एवं इतिहास संशोधक बलीराम पाटील की थी। टांडा स्वराज्य से टांडा जीवन में सुधार आये, टांडा जीवन कि प्राकृतिक सभ्यता गरिमा के साथ सामने आये यही भावनाएं इस प्रक्रिया में अंकित होती हैं। टांडा स्वराज्य हमें 'सेक्युलॅरिज़्म', 'सोशल जस्टीस' सिखाता है। मानव कल्याण का भी शिक्षा देता है। आत्मनिर्भर होने में प्रेरित करता है। प्रकृति संवर्धन का संदेश देता है। भाईचारा बढ़ाने को कहता है। ऐसे महत्वपूर्ण टांडा स्वराज्य को भूलना या नजर अंदाज करना समाज के निरंतर विकास के लिये फायदेमंद साबित नहीं होगा।

टांडा की सभ्यता दुनिया में एक विशेष रूपसे नजर आती है। उत्सव, मौखिक लोक साहित्य, पेहराव, टांडा व्यवस्था, कशिदाकारी काम, नायक का सम्मान और नसाब जैसी परंपरा टांडा जीवन कि विशेषतः प्रकट करती है। भारत की विविधता को समृद्ध करने में बंजारा सभ्यता का भी अहम योगदान रहा है। राष्ट्र के स्वतंत्रता और रक्षा हेतु भी अहम योगदान रहा है। फिर भी बंजारा समाज, टांडा पूर्ण रूप से मुख्यधारा में अभितक नहीं आये है। यही बेहद दूखदपूर्ण बात है। स्वतंत्रता का अमृतमहोत्सव वर्ष का हम उत्सव मना रहे हैं, फिर भी बंजारा आज भी अपने संवैधानिक न्याय, अधिकार से वंचित है। टांडा विकास के लिये महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दो राज्यों में राज्य सरकार के स्तरपर योजनाएँ हैं। किंतु केंद्र सरकार के स्तरपर अभितक कोई भी योजनाएँ नहीं बनवायी गयी। हजारों टांडा आज भी अपने रेव्हेन्यू दर्जा से वंचित हैं। टांडा में महिला निरक्षरता और गरिबी रेखा के निचे की प्रमाण आज भी बड़े पैमाने में पाये जाते हैं। जहाँ की आज भी बहोत सारे टांडाओ में संचार मार्ग नहीं। पिये का पानी नहीं। बंजारन को अपना जीव मुठ्ठीमे लेकर दो-दो किलोमिटर दूरतक पैदल चलकर पानी लाना पडता है। तो कहीं एक घडीयाँ मटका पानी के लिये कुंआ से निकालाकर चार-चार घंटा बिताना पडता है। की बालिकाएँ शिक्षा से वंचित हैं। रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं है। अनेक समस्या से टांडा झूज रहा है। टांडा की आज की स्थिती बेहद निराशाजनक है। ऐसे स्थिती में टांडा स्वराज्य की भूमिका से निती अपनानी होगी। टांडा के हर समस्या और सवालपर पढाई करनी होगी, अनुसंधान करना होगा। उपाययोजना करने के लिये टांडा विकास का कृति आराखडा (एक्शन प्लान) बनाना होगा। 'आपणों टांडो आपणों राज' इस मुलमंत्र पर टांडा को आत्मनिर्भरता की सोच देनी होगी।

निष्कर्ष :

टांडा, गांव और शहर यह तीनों भिन्न भिन्न लोकजीवन है। इनकी अलग रूपसे स्वयं की परिभाषा और पहचान है। इसलिए ग्राम स्वराज्य और टांडा स्वराज्य यह स्वतंत्र एवं भिन्न संकल्पना है। जीवनका बुनियादी सिद्धांत भी भिन्न स्वरूप का है। प्रस्तुत शोधकर्ता ने टांडा स्वराज्य की संकल्पना आगे



लाकर टांडा सशक्तीकरण और टांडा सभ्यता के वैश्विकरण का परिचय दिया है। प्रस्तुत शोधकर्ता के टांडा स्वराज्य इस संकल्पना और सोच की प्रेरणा राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी, महानायक वसंतराव नायक प्रतित होते हैं। 'टांडा कि ओर चलो' इस टांडावादी विचार से 'टांडा स्वराज्य' की कल्पना जुड़ी है। टांडा स्वराज्य यह 'टांडा की ओर चलो' (तांडेसामू चालो) इस टांडावादी विचार का एक बुनियादी सिद्धांत प्रतित होता है। टांडा स्वयं का विकास स्वयं करे। टांडा मानविय मूल्यों और विकास का केंद्र बने। अपनी स्वाभिमानि गरिमा बरकरार रखे। इस संकल्पना के माध्यम से ये आने वाले समय में यही धारणा नयी पिढीमे उभरकर आयेगी।

शिफारिशे :

ग्राम स्वराज्य के साथ टांडा स्वराज्य इस नयी संकल्पना और बुनियादी सिद्धांत का भी अध्ययन हो। भारतिय विविधता में गांवो के साथ टांडा का सशक्तीकरण हो। टांडा पंचायत और स्वतंत्रता काल के लोकतंत्र शासन द्वारा बनी पंचायत राज इन दोनो को समन्वय करके टांडा विकास के लिए भक्कम रूपसे कार्ययोजनाए हो। टांडा व्यवस्था का विश्वविद्यालय में स्वतंत्र रूपसे अध्ययन, संशोधन हो। भारतिय विविधता को बढावा देने हेतु भारत सरकार और राज्य सरकार के सांस्कृतिक, सामाजिक न्याय और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से इस सभ्यता, व्यवस्था को बरकरार करने के लिये स्वतंत्र रूपसे एक बोर्ड, संस्था, अकादमी की निर्मिती हो।

संदर्भ :

1. तांडेसामू चालो : मराठी विकिपीडिया
2. खेड्याकडे चला : मराठी विकिपीडिया
3. स्मार्ट तांडा गरज आणि उपाय : लेखक एकनाथ पवार, रिसर्च जर्नल -2456-1665, खंड -4,
4. ग्राम स्वराज्य : महात्मा गांधीजी
5. आपणों तांडो आपणों राज : लेखक एकनाथ पवार नायक, साप्ता. बंजारा पुकार, दिसंबर 2021
6. तांडेसामू चालो : तांडा विकास आणि जीवनप्रणालीचे सशक्त आंदोलन, लेखक प्राचार्य जयसिंग जाधव, साप्ता. बंजारा पुकार, 30 नवंबर 2020
7. लोहगढ : जगातील सर्वात मोठा किल्ला, लेखक हरजिंदर सिंग दिलगीर, गगनदीप सिंग. मराठी अनुवादक, जयराम पवार, ब्ल्यू रोझ पब्लिशर्स, नवी दिल्ली